न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

अपील संख्याः– ~~33~~ 81 / 2018

1. रामलाल पुत्र श्री बालू जाति अहीर
2. श्योनारायण पुत्र श्री बालू जाति अहीर
3. मालीराम पुत्र श्री भंवरलाल जाति अहीर
4. सुरेश पुत्र श्री भंवरलाल
5. संतोषदेवी पत्नीश्री भंवरलाल जाति अहीर
6. [illegible]थूराम पुत्र श्री रूडा जाति अहीर
7. रामचन्द्र पुत्र श्री रूडा जाति अहीर
8. अशोक कुमार पुत्र श्री मूला जाति अहीर
9. रामेश्वरलाल पुत्र श्री मूला जाति अहीर
10. बाबूलाल पुत्र श्री मूला जाति अहीर
11. भगवती देवी पत्नी श्री मूला जाति अहीर
12. ममता देवी पत्नी श्री बंशीलाल
13. रवि पुत्र श्री बंशीलाल
14. पूजा
15. पलक
16. पायल

   पुत्रियान स्व. श्री बंशीलाल नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता ममता देवी बेवा बंशीलाल।

17. भंवरलाल
18. मदनलाल
19. भगवान सहाय

   पुत्रान स्व. श्री जोधा जाति अहीर

20. हनुमान पुत्र श्री पूरा जाति अहीर

   समस्त निवासियान ग्राम विजयगोविन्दपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. [illegible]गुता पुत्र श्री भुवाना जाति अहीर
2. रामनिवास
3. रामलाल पुत्र श्री भुवाना जाति अहीर
4. सेडूराम पुत्र श्री चन्द्राराम जाति अहीर
5. लादूराम
6. कल्याणमल
7. श्योनारायण पुत्रान श्री हरबक्श जाति अहीर
8. बाबूलाल
9. ओमप्रकाश पुत्रान स्व. श्री मंगला जाति अहीर
10. लालीदेवी बेवा स्व0 श्री मंगला जाति अहीर
11. गीता देवी पुत्री स्व. श्री मंगला जाति अहीर
12. हनुमान
13. मन्नालाल
14. सीताराम
15. नन्दाराम पुत्रान श्री गंगू जाति अहीर

   समस्त निवासीयान ग्राम विजयगोविन्दपुरा तहसील [illegible]

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल दिनांक 04.12.2015

निर्णय दिनांकः— 14/8/19

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम विजयगोविन्दपुरा पटवार हल्का मुरलीपुरा भू.अभि. नि. क्षे, भोजपुरा कलां तहसील किशनगढ रेनवाल मं स्थित आराजी खसरा नंबर 85 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा है जिसके खातेदार काश्तकार व कब्जेधारी अपीलान्टगण चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयात का राजस्व लगान अपीलान्टगण अदा करते आ रहे हैं एवं काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि के लगी हुई भूमि खसरा नंबर 87 है जो रेस्पोडेन्टान की आराजी है जिसमें एक गैर मुमकिन कुँआ बना हुआ है। अपीलान्ट की आराजीयात के बाबत तहसीलदार द्वारा बिना किसी अधिकार के दौराने सहमति से तकासमा में पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया जिस आदेश की आड में पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका पर गये रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से खसरा नंबर 85 में गै.मु. कुँआ बताते हुए अपीलान्ट की भूमि के कुछ हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा व मकानात अपनी रिपोर्ट में गैर कानूनी बताते हुए रिपोर्ट पेश की। जबकि अपीलान्टगण की खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि से रेस्पोडेन्टगण का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गै0मु0 कुँआ खसरा नंबर 85 में ना होकर खसरा नंबर 87 की सीमा में है। गै0मु0 कुँआ पर लगा विद्युत कनेक्शन भी गै0मु0 चाह के लिए जारी किया गया है। पटवारी मौका रिपोर्ट गलत है। अन्त में अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीला स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के आदेश दिनांक 06.11.2015 व मौका रिपोर्ट दिनांक 04.12.2015 को निरस्त फरमाया जाए। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, विद्युत वितरण संबंधी दस्तावेज एवं पटवारी मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तामील नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

अपील के सबंध में मूल रिकॉर्ड मंगवाया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 85 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा है जिसके खातेदार काश्तकार व कब्जेधारी अपीलान्टगण चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के लगी हुई भूमि खसरा नंबर 87 है जो रेस्पोडेन्टान की आराजी है जिसमें एक गैर मुमकिन कुँआ बना हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका पर गये रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से खसरा नंबर 85 में गै.मु. कुँआ बताते हुए अपीलान्ट की भूमि के कुछ हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा व मकानात अपनी रिपोर्ट में गैर कानूनी बताते हुए रिपोर्ट पेश की। जबकि अपीलान्टगण की खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि से रेस्पोडेन्टगण का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गै0मु0 कुँआ खसरा नंबर 85 में ना होकर खसरा नंबर 87 की सीमा में है। गै0मु0 कुँआ पर लगा विद्युत कनेक्शन भी गै0मु0 चाह के लिए जारी किया गया है। पटवारी मौका रिपोर्ट गलत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में पटवारी द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट सही है एवं तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही भी विधिसम्मत होने का कथन किया है।

अतिरिक्त पटवारी रिपोर्ट मे विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा होना बताया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि अपीलान्ट के नाम है। अतः इस स्थिति में अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ रैनवाल को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व कर्मियों की एक कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट तैयार करवा मौका रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर